



राज्यपाल सचिवालय, विहार  
राजभवन, पटना-800 022

पत्रांक-BSU(Directive)-43/2023- 375 /रा.सं.(1) दिनांक- 06.03.2024-  
प्रेषक,

रॉबर्ट एल. चोंग्थू, भा.प्र.सो.  
राज्यपाल के प्रधान सचिव

सेवा में,

कुलपति

विहार राज्य के सभी विश्वविद्यालय

विषय :- राक्षम प्राधिकार के अनुमति के बिना मुख्यालय से प्रस्थान नहीं करने  
के संबंध में दिये गये निर्देश का अनुपालन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक 450, दिनांक  
25.3.23, 1465, दिनांक 15.9.23 एवं 2078, दिनांक 12.12.23 के माध्यम से विश्वविद्यालय  
के पदाधिकारीगण, शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के द्वारा राक्षम प्राधिकार से  
स्वीकृति/अनुमति प्राप्त किये बिना मुख्यालय से प्रस्थान नहीं किये जाने के संबंध में  
दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है, जिसमें निर्देशित किया गया है कि विश्वविद्यालय के  
सभी पदाधिकारी, शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी राक्षम प्राधिकार से लिखित अथवा  
टेलिफोनिक अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही मुख्यालय छोड़ेंगे।

एतदर्थ कुलपति के मामले में माननीय कुलाधिपति राक्षम प्राधिकार हैं तथा अन्य  
विश्वविद्यालय के पदाधिकारी के मामले में कुलपति राक्षम प्राधिकार हैं।

कुलपति अपना कार्यभार प्रतिकुलपति, यदि प्रतिकुलपति अवकाश पर हो या पद  
रिक्त हो तो, वे अपना कार्यभार वरिष्ठताम प्राध्यापक वगैरे दैनिक कार्यों हेतु सौंपते हुए  
मुख्यालय से प्रस्थान करेंगे। साथ ही अवकाश हेतु इस सचिवालय को भेजे जाने वाले  
पत्र में राक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त करने के संबंध में टेलिफोनिक वार्ता को अवश्य  
ही वर्णित करेंगे।

पुनः निर्देश दिया जाता है कि उक्त आदेश का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।  
उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन

ह०/-

(रॉबर्ट एल. चोंग्थू)

राज्यपाल के प्रधान सचिव

ज्ञापक-BSU(Directive)-43/2023- 375 /रा.सं.(1) दिनांक- 06.03.2024.

प्रतिलिपि :- विशेष पदाधिकारी (वि.वि.)/सभी विश्वविद्यालय के कुलसचिव/  
प्रधान सचिव कोषांग, राज्यपाल सचिवालय, विहार को सूचनार्थ प्रेषित/गार्ड फाईल।

1.3.24  
राज्यपाल के प्रधान सचिव

पटना विश्वविद्यालय

ज्ञाप संख्या:- स्था0/515

दिनांक 27/03./2025

प्रतिलिपि:- (1) सभी संकायों के संकायाध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय, पटना (2) सभी स्नातकोत्तर विभागों  
के विभागाध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय, पटना (3) सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य, पटना विश्वविद्यालय,  
पटना (4) सभी संस्थानों के निदेशक, पटना विश्वविद्यालय, पटना (5) सभी छात्रावासों के अधीक्षक,  
पटना विश्वविद्यालय, पटना (6) सभी सम्बद्ध इकाईयों के नियंत्री पदाधिकारी, पटना विश्वविद्यालय, पटना  
(7) सभी पदाधिकारी, पटना विश्वविद्यालय, पटना (8) सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पटना विश्वविद्यालय,  
पटना (9) प्रमारी पदाधिकारी, आई0 टी0 सेल, पटना विश्वविद्यालय, पटना अधिकृत वेबसाइट पर  
अपलोड करने हेतु, (10) कुलपति के सचिव, पटना विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्यार्थ प्रेषित।

Shalin

27-3-2025

कुलसचिव

पटना विश्वविद्यालय

27.3.25